तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.05.24	आज यह पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। हमने प्रकरण उनवानी राजकुमार बनाम सरकार में दिनांक 8.5.24 को की गई बहस पर मनन किया गया। दौराने बहस प्रार्थी द्वारा अवगत कराया गया कि आ० ख० नं० 90 ग्राम गाजीपुर में प्रार्थी का नाम बैनी कुमार पुत्र सुमेरसिंह दर्ज है जो गलत है सही नाम राजकुमार पुत्र सुमेरसिंह है तथा आ० ख० नं० 4, 729, 730, 739, वाके ग्राम बिजवाड़ी में नाबालिग बेबी पुत्र सुमेरसिंह दर्ज है जो गलत है सही नाम राजकुमार पुत्र सुमेरसिंह है। इस सम्बन्ध में अप्रार्थीगण सं० 2 लगायत 6 द्वारा अपने जवाब में प्रार्थी का नाम नाबालिग बेबी व बैनी कुमार के स्थान पर राजकुमार पुत्र सुमेरसिंह दर्ज किये जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गई है तहसीलदार मुंडावर की जांच रिपोर्ट में भी सही माना गया है। इसके अलावा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी रिकार्ड जैसे आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन-कार्ड, अंक तालिका, जन आधार कार्ड, वोटर कार्ड आदि में प्रार्थी का नाम राजकुमार दर्ज पाया गया है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकार्ड, तहसीलदार मुंडावर जांच रिपोर्ट, जवाब तरतीबी प्रति वादीगण एवं राजस्व रिकार्ड का गहन अध्ययन किया गया उक्त आधार पर हम प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं। अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 LRA स्वीकार किया जाकर तहसीलदार मुंडावर को आदेशित किया जाता है कि आ० ख० नं० 90 रकबा 1.5100 है० वाके ग्राम गाजीपुर में बैनी कुमार पुत्र सुमेरसिंह के स्थान पर राजकुमार पुत्र सुमेरसिंह शुद्ध किया जावे तथा ———	

——— लगातार

अखण्ड [illegible]
मुण्डावर ([illegible])

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आ० ख० नं० 4 रकबा 1.1000, 729 रकबा 0.4100, 730 रकबा 0.5000, 739 रकबा 0.1900 वाके ग्राम बिजवारी में नाबालिग बेबी के स्थान पर राजकुमार पुत्र सुमेर सिंह शुद्ध राजस्व रिकार्ड किया जावे। निर्णय आज दिनांक 15.05.24 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल मुताबिक होकर नकल से कम हो बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। (सौरभ यादव) उपजिलाधिकारी	